15/4/22

15/4/22

आगामी पेशी। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील प्रार्थी। प्रार्थीगण को बार-बार कथन कर व्यापक समय देने के बावजूद समीक्षा तक अपने लगातार वकील प्रार्थी प्रार्थीगण की ओर से हाजिर उपस्थित नहीं हुआ अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अग्रग्रहणी और पैरवी से खारिज किया जाता है। आगामी वाद कार्यवाही का एक मौका अन्तिम रूप से दिया जाता है। नियत अग्रिम 16/2/2022 को सुनने व्यापकतम से सुनाया जाए।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:55:31 IST
Reason: SelfAttested